

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अ०नि०) अधि० न्यायालय कक्ष संख्या-2, इटावा।

उपस्थित **हुसैन अहमद अंसारी,** एच०जे०एस०

राज्य बनाम नर सिंह ठाकुर
विशेष सत्र परीक्षण संख्या-102 / 2017
सी०एन०आर०नं०-यू०पी०ई०डब्लू०-01-005261-2017
धारा-504,506,भा०द०संहिता एवं
धारा-3(1)(आर)व (एस) एसएससी/एसटी (पी०ए०)एक्ट,
अ०सं० 547 / 16
थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन किया, और अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विवरण देते हुए उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जिनसे अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने की प्रस्थापना उनके द्वारा की गयी है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के बिन्दु पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य/ सामग्री के आधार पर अभियुक्त नर सिंह ठाकुर के विरुद्ध धारा -504,506 भा० दं० संहिता एवं 3(2)(5ए), 3(1)(आर)(एस) एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत अपराध का मामला प्रथम दृष्टया गठित होता है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

(हुसैन अहमद अंसारी)

दि० 25.02.2020 विशेष न्यायाधीश, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति
(अ०नि०) अधि०/न्यायालय कक्ष सं०-2, इटावा।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष अपनी समस्त साक्ष्य दिनांक **26.03.2020** को पेश करे।

(हुसैन अहमद अंसारी)

दि० 25.02.2020 विशेष न्यायाधीश, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति
(अ०नि०) अधि०/न्यायालय कक्ष सं०-2, इटावा।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति (अ०नि०) अधि०
न्यायालय कक्ष संख्या-2,इटावा।

उपस्थित **हुसैन अहमद अंसारी,** एच०जे०एस०

राज्य बनाम नर सिंह ठाकुर
विशेष सत्र परीक्षण संख्या-102 / 2017
सी०एन०आर०नं०-यू०पी०ई०डब्लू०-01-005261-2017
धारा-504,506,भा०द०संहिता एवं
धारा-3(1)(आर)व (एस) एसएससी/एसटी (पी०ए०)एक्ट,
अ०सं० 547 / 16
थाना जसवन्तनगर, जिला इटावा।

आरोप

मैं, **हुसैन अहमद अंसारी,** विशेष न्यायाधीश, अनु०जाति एवं अनु०
जनजाति (अ०नि०)अधि० न्यायालय कक्ष संख्या-2,इटावा में आप अभियुक्त नर सिंह
ठाकुर पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ ।

प्रथम- यह कि दिनांक 14.09.2016 को समय करीब 10बजे रात्रि बहद
स्थान ग्राम भीखनपुरा के पास अन्तर्गत थाना क्षेत्र जसवन्तनगर जिला इटावा में
वादी पवन कुमार कठेरिया को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के
आशय से गालियों देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य
किया जो धारा 504 भा०द०संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और जिसका
संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने उक्त वादी पवन
कुमार कठेरिया को अनुसूचित जाति का जानते हुए,जान से मारने की धमकी देकर
आपराधिक अभित्रांस कारित किया। इसप्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया
जो धारा-506 भा०द०संहिता (अनुसूचित अपराध) सपठित धारा- 3(2)(5ए)
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत
दण्डनीय है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी पवन
कुमार कठेरिया,जो कि अनुसूचित जाति कठेरिया जाति का सदस्य है और आप गैर
अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उसको जनता के दृष्टिगोचर में जाति सूचक शब्दों
से सम्बोधित करते हुए अपमानित व अभित्रस्त किया। इसप्रकार आपने ऐसा
आपराधिक कार्य किया जो धारा 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा जिसके
संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं आदेशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिये आपका
विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दि० 25.02.2020

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश,अनु०जाति एवं अनु०जनजाति
(अ०नि०)अधि०/न्यायालय कक्ष सं०-2,इटावा।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे
अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की ।

दि० 22.02.2020

(हुसैन अहमद अंसारी)

विशेष न्यायाधीश,अनु०जाति एवं अनु०जनजाति
(अ०नि०)अधि०/न्यायालय कक्ष सं०-2,इटावा।

सीएमएम

सीएमएम